न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 916/2019 निर्णय दिनांक :– 6-3-20

उनवान

1. रामजीवण
2. रामप्रसाद
3. रामजीलाल
4. कैलाश
5. श्यामलाल
6. लल्लू उर्फ पप्पू पुत्रान् स्व0 काल्या (कालू) समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम श्यामपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

——वादी

–बनाम–

1. हजारी
2. रामजीलाल पुत्रान् स्व0 भौरीलाल

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

3. रामावतार पुत्र स्व0 सीताराम

4. सत्यनारायण

5. बनवारी

6. हरिनारायण पुत्रान् स्व0 जगदीश

7. चिरंजी

8. गिर्राज

9. बजरंग

10. शिवसहा पुत्रान स्व0 रामधन समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम श्यामपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर राजस्थान।

11. राजस्थान सरकार जारिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

12. उपपंजीयक तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राजस्थान।

—प्रतिवादी

<u>दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश किया गया कि:—

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वाके ग्राम श्यामपुरा, तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में एकीकरण से पूर्व खाता संख्या 3 के खसरा नम्बर 24, 26, 38, 40, 41, 43, 54, 63, 74, 76, 80, 134/186, 134/197, 134/202, 129/207, 133/200, कुल किता 16 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा थे जो प्रार्थीगण के पिता काल्या (कालू) के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी लेकिन एकीकरण के दौरान आराजी खसरा नम्बर 24, 74, 76, 80, 134/197, 133/200 अप्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम बिना किसी आधार के कर दी व प्रार्थी के पिता की जमीन कम कर दी खसरा नम्बर 24 अन्य नम्बरों को मिलाकर खसरा नम्बर 1 बना उक्त 1 से सेटलमेंट के उपरांत खसरा नम्बर 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बने जो वर्तमान में ही है उक्त खसरा नम्बरान में प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 04 बना जो ही विवादित है। इसी प्रकार पुराने खसरा नम्बर 76 के एकीकरण में उक्त नम्बरों को मिलाकर 12 बना उक्त 12 से सेटलमेंट के उपरान्त खसरा नम्बर 20, 21, 50, 51, 52 हुये जो वर्तमान में है। खसरा नम्बर 20 रकबा 0.08 है स्थित है, इसी प्रकार पुराने खसरा नम्बर 80 का एकीकरण में अन्य नम्बरों को मिलाकर 15 बना 15 में सेटलमेंट के दौरान 41, 42, 48, 49 बने, इसी प्रकार 134/197 तथा 133/200 का अन्य खसरा नम्बरान को मिलाकर खसरा नम्बर 51 बना 51 का सेटलमेंट के दौराने खसरा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

नम्बर 266, 267, 268 बने 267 के वर्तमान खसरा नम्बर 267/1, 267/11 ही विवादित है इस प्रकार प्रार्थीगण के पूर्वज की एकीकरण के दौरान खातेदारी हटाकर अप्रार्थीगण के नाम लगी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 04, 20, 48, 267/1, 267/11 ही विवादित है क्योंकि प्रार्थीगण की जमीन के वर्तमान नंबर उक्त बने और उक्त पर ही प्रार्थीगण काबिज है। तथा प्रार्थीगण के पुराने नक्शे से नया नक्शा भी उक्त आराजीयात का ही बना है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के पिता स्व. काल्या (कालू) पुत्र काना के नाम से राजस्व रिकार्ड में एकीकरण से पूर्व खसरा नंबर 24, 76, 80, 133/197, 133/200 स्थित था एकीकरण में उक्त खसरा नंबर की खातेदारी अप्रार्थी सं. 01 ता 02 के पिता व अप्रार्थी सं. 03 ता 10 के दादा स्व. भौरीलाल पुत्र श्योनाथ व श्योनाथ पुत्र किसना के नाम एकीकरण विभाग वालो ने बिना किसी अधिकारिता के अप्रार्थगण के दादा व परदादा से मिलकर कर दी। जबकि एकीकरण विभाग को प्रार्थीगण के पिता की आराजी को अप्रार्थीगण के दादा व परदादा के नाम करने का कोई अधिकार नहीं था। एकीकरण –के समय श्योनाथ पुत्र किसना के नाम अन्य खातेदारी थी उक्त श्योनाथ जो कि बहुत ही चतुर व्यक्ति था राजस्व

खण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

कर्मियों से साठगांठ कर अपने बेटे भौरीलाल व स्वंय के नाम प्रार्थीगण की उक्त आराजी को अपने नामः करवा लिया जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नहीं था। प्रार्थीगण की करीब 0.48 है0 जमीन भौरिया व श्योनाथ ने अपने नाम करवा ली जिंससे प्रार्थीगण की आराजी राजस्व रिकार्ड में कम हो गई तथा अप्रार्थगण के पूर्वज श्योनाथ की आराजी बढ गई तथा भौरिया (भौरीलाल) के भी नाम प्रार्थीगण की आराजी लगवा ली।यहां दावे में यह स्पष्टिकरण कर दिया आवश्यक है उक्त खसरा नंबर 24 के अन्य नंबरों को मिलाकर खसरा नंबर 01 बना तथा उक्त 01 के सैठलमेन्ट के दौरान खसरा नंबर 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 बने जिसमें प्रार्थीगण की कब्जे काश्त भूमि खसरा नंबर 04 रकबा का 0.25 है0 में से 0.12 है0 ही है। इसलिये खसरा नंबर 04 के रकबे 0.12 है0 पर ही प्रार्थगण काबिज है तथा उक्त ही प्रार्थीगण की जमीन है। इसलिये उक्त पर वाद किया गया है तथा इसी प्रकार खसरा नंबर 76 के साथ खसरा नंबर 77 व 78 को मिलाकर खसरा नंबर 12 बनाये गये तथा उक्त 12 के सैटलमेन्ट के दौरान 18, 19, 20, 50, 51,. 52 बने। जिसमें प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व स्वामित्व का खसरा नंबर 20 है प्रार्थीगण के मूल खसरा नंबर 76 का खसरा नंबर 20 बना तथा अपने पिता के समय से ही मूल खसरा नंबर 76 के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

काबिज है जो वर्तमान में खसरा नंबर 20 है। इसलिये प्रार्थीगण के पिता के हिस्से का खसरा नंबर 20 बना उसी अनुसार प्रार्थीगण काबिज है तथा उक्त आराजी हीं प्राप्त करने के अधिकारी है। इसी प्रकार खसरा नंबर 80 का अन्य नंबरों से मिलकर 15 बना उक्त 15 से वर्तमान नंबर 41, 42 48, 49, 50, 51, 52 बने पर प्रार्थीगण के 80 से खसरा नंबर 48 बना तथा उसी पर प्रार्थीगण काबिज है उसी पर प्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार 0.12 है0 पर काबिज है। इसी प्रकार खसरा नंबर 134/197, 133/200 का अन्य नंबरो को मिलाकर एकीकरण में खसरा नंबर 51 बना 51 के खसरा नंबर 266, 267, 268 बने पर प्रार्थगण की जमीन का खसरा नंबर 267 तथा उक्त 267 के खसरा नैंबर 267/1, 267/11 बने और उक्त नंबरान के 0.16 है0 पर प्रार्थीगण काबिज है तथा प्रार्थीगण की आराजी के नंबर 267/1, 267/11 है। इस प्रंकार प्रार्थीगण के पूर्वज की खातेदारी हटाकर अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम जो आराजी लगी उसंके वर्तमान नंबर खसरा नंबर 04 में 0.12 है0, खसरा नंबर 48 में से 0.12 है0, खसरा नंबर 20 रकबा 0.08 है0 तथा खसरा नंबर 267/1, 267/11 में से 0.16 है0 इस प्रकार कुल 0.48 है0 ही विवादित है जिसे प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से प्राप्त करने के अधिंकारी है। अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व. भौरीलाल व श्योनाथ

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

काफी तेज व्यक्ति था जबकि प्रार्थीगण के. पिता स्व. काल्या(कालू) सीधे साधे भौले भाले किसान थे अपनी चालाकी का फायदा उठाते हुये अप्रार्थीगण के पूर्वज भौरीलाल व श्योनाथ ने राजस्वश कर्मियों से साठं गांठ कर, एकीकरण के दौरान प्रार्थीगण के पूर्वज स्व. काल्या के नाम की जमीन को अपने नाम करवा लिया जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नहीं था तथा एकीकरण विभाग को भी किसी खातेदार की खातेदारी दुसरे के लगा कर कम ज्यादा करने का कोई हक व अधिकार नहीं था एकीकरण के पूर्व के खसरा नंबर 24, 80, 76, 134/197, 133/200 के बदले कोई दुसरी आराजी भी प्रार्थीगण के पिता के नाम नहीं लगाई गई तथा अप्रार्थीगण के पूर्वजों को उनके राजस्व रिकार्ड से भीं ज्यादा जमीन उनके नाम लगा दी जबकि भौरीलाल के तो उक्त समय में कोई, जमीन ही नाम नहीं थी, ना ही किसी प्रकार से क्रय की थी लेकिन अप्रार्थीगण के पूर्वज श्योनाथ ने बडी ही चालाकी पूर्वक तरीके से प्रार्थगण के पूर्वज की कुछ जमीन तो अपने नाम व कुछ जमीन अपने बेटे भौरीलाल के, नाम बिना किसी अधिकारिता के राजस्व कर्मियों से मिलकर लगवा ली जो गलत तरीके से प्रार्थीगयण की आराजी अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व. भौरीलाल व श्योनाथ के नाम एकीकरण के दौरान लगाई गई है। जिसे प्रार्थीगण अपने नाम किएदाने के

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

अधिकारी है। जब दिनांक 10.11.2019 को प्रार्थीगण अपने उक्त खेत खसरा नंबर 20 रकबा 0.08 है0 पर काम कर रहे थे तो अप्रार्थीगण एकराय होकर आये तथा प्रार्थगण के कहा कि उक्त खेत का कब्जा छोडो ये हमारे दादा के नाम है। प्रार्थगण ने कहा कि ऐ तो हमारे पिताजी के समय सै ही हमारा खेत है तथा इस पर हम निर्विवाद रूप से काबिज है तो अप्रार्थगण ने एक स्वर में कहा कि उक्त खेत हमारे स्व. दादा के नाम राजस्व रिकार्ड में है जिसका हमें पता नहीं था तथा हमने विरासत का नामान्तकरण भी नहीं खुलवाया है। तुम लोग इसको अविलम्ब खाली करो। हम इस. पर निर्माण करवायेगे। जब प्रार्थीगण ने दिनांक 11.11.2019 को तहसील कार्यालय में जाकर मालूमात किया तो उक्त खेत का राजस्व रिकार्ड अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व. भौरीलाल के नाम निकला जब प्रार्थीगण ने अपना सारा रिकॉड निकलवाया तो अप्रार्थीगण के स्व. पिता के द्वारा फर्जी रूप से फर्जीवाडा कर अपने नाम प्रार्थीगण के पिता की आराजी का नाम राजस्व रिकार्ड में करवाने का सर्वप्रथम जानकारी हुई। तत्पश्चात पूर्ण रिकोड देखने से प्रार्थीगण के पूर्वज की छोडी गई जमीन खसरा नम्बर 04, 48, 267/1, 267/11 का रिकॉर्ड देखने पर अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा किये गये तमाम फर्जीवाडे की जानकारी प्रार्थीगण को हुई। यह कि अप्रार्थगण अपने नापाक ईरादे

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

कां कामयाब करने की गरज से दिनांक 23.11.2019 को एकराय होकर प्राथीगण के कब्जे काश्त की जज आराजी पर आये तथा निर्माण करने हेतु निर्माण सामग्री डलवाने लगे जब प्राथीगण ने हाथ जोडकर कहा कि आपको पता है उक्त आराजी शुरू से ही हमारी रही है आप इस पर कैसे कब्जा कर सकते हो तो अप्रार्थीगण उत्तेजित हो गये और कहा कि हम इस पर कब्जा करके रहेगे तथा हमारे नाम नामान्तकरण खुलवाकर भू–माफियों को बेचान करेगे आस पास के लोगो के समझाने से उस वक्त तो अप्रार्थीगण चले गये लेकिन जाते जाते श्ऐलानिया धमकी देकर गये कि हमे जो कुछ भी करना पडे हम तुम्हे उक्त आराजी से बेदखल करेगे तथा राजस्व रिकार्ड हमारे नाम करवायेगे जिसके लिये प्राथीगण को अप्रार्थीगण के नाम दावा घोषणा व अस्थायी निषेधाज्ञ का पेश करना लाजमी हुआ तथा प्रार्थीगण खंसरा नंबर 04 में से 0.12 है, खसंरा नंबर 48 में से 0.12 है0, खसरा नंबर 20 रकबा 0.08 है0 तथा खसरा नंबर 267/1, 267/11 में से 0.16 है0 हल प्रकार कुल 0.48 है0 की खातेदारी घोषणा जरिये न्यायालय करवाने का अधिकार रखते है। यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया गया तो वे अपने नापाक इरादे में कामयाब हो जायेगे तथा को अनावश्यक मुकदमें बाजी में पडना पडेगा। प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा सुविधा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

का संन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि श्अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधांज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र में मद नं. 2 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 04, 48, 20, 267/1, 267/11 के रिकार्ड व. मौके की यथा स्थिति बनाये रखे जो प्राकृतिक न्याय हल दृष्टि कोण के अनुरूप है तथा प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करे, ना ही दान, बय, बेचान आदि करें, ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे, ऐसा ना तो स्वंय करे, ना ही अन्य से करावे। प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी द्वारा पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी वकील की एक तरफा बहस प्रार्थी वकील की सुनी जाकर अप्रार्थीगण को आगामी तारीख तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 4, 48, 20, 267/1, 267/11 वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील कोटखावदा में स्थित भूमि का राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गयी तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही कर प्रार्थना पत्र 151 सी0पी0सी0 का इस प्रकार पेश किया कि यह कि

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष मिथ्या आधारो पर वाद प्रस्तुत करते हुए उक्त वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एकपक्षीय रूप से माननीय न्यायालय को मुगालते में रखते हुए गुमराह कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जबकि वास्तविकता तो यह है कि प्रार्थीगण ने पूर्व में भी वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 20 के संबंध में वाद प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसको दिनांक 19/12/19 को ही खारिज करवा लिया ततपश्चात उक्त दिवस को ही पुनः वाद प्रस्तुत कर ख0 नं० 20 के संबंध में स्थगन आदेश पारित करवा लिया उक्त तमाम तथ्य प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय से छिपाये है। वादग्रस्त आराजी में से ख0 नं0 20 रकबा 0.08 के संबंध में वाद प्रस्तुत किया है और उक्त वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त वादग्रस्त भूमि ख0 नं० 20 के संबंध में भी अनुतोष चाहा है जबकि वास्तविकता तो यह है कि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्तविक सही तथ्य छिपाये है प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में यह स्पष्ट रूप से कही भी अंकित नहीं किया है कि वादग्रस्त भूमि कौन से सन् व सम्वत्त में प्रार्थीगण के पूर्वजों कें नाम रही है बल्कि वास्तविकता तो यह है कि प्रार्थीगण के पिता स्व0 कालू एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

भौरया पुत्र श्योनाथ द्वारा तहसीलदार चाकसू के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार चाकसू द्वारा दिनांक 28,11,1964 को निर्णय पारित करते हुए वादग्रस्त आराजी जिसके वर्तमान ख0 नं० 20 है के साबिक ख0 नं0 12 थे उक्त ख0 नं0 12 के संबंध में निर्णय पारित करते हुए तहसीलदार ने अपने निर्णय में पारित किया है कि उक्त भूमि चक नं० 12 सिवाय चक के बजाय आबादी में शुमार किया जाता है इस प्रकार उक्त भूमि दिनांक 28.11. 64 से ही आबादी भूमि के रूप में काम मे आ रही है तथा जिसके संबंध में अप्रार्थीगण के पूर्वज भौरया पुत्र श्योनाथ ने ख0 नं0 76 जिसके हाल चक नं0 12 जिसके वर्तमान ख0 नं० 20 है के संबंध में दिनांक 07.06.1964 को राजस्थान सरकार में मकान बनाने के संबंध में सरकार को जरिये चालान राशि जमा करवायी थी एवं इस प्रकार उक्त भूमि में अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा मकान बना लिये थे जिस पर अप्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही निवास करते चले आ रहे थे वर्तमान में उक्त मकान खण्डर अवस्था में हो जाने के कारण उक्त मकानों को तुडवाकर अप्रार्थीगण द्वारा नया मकान बनाया जा रहा था जिंसको रूकवाने के उदेश्य से ही उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत किया है। 3. यह–कि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

समक्ष वास्तविक व सही तथ्य छिपाये है जबकि वास्तविकता तो यह है कि पूर्व में ही प्रार्थीगण के पिता कालूराम पुत्र काना ने इस संबंध में तत्सयम ही तहसीलदार चाकसू के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की थी जिस पर न्यायालय तहसीलदार चाकसू द्वारा दिनांक 03/06/1965 को आदेश पारित किया था उक्त आदेश में तहसीलदार महोदय द्वारा अपने आदेश में यह अंकित किया था कि उक्त भूमि ख0 नं० 76 जिसके हाल ख0 नं0 12 है की उक्त भूमि में भौरीलाल पुत्र श्योनाथ ने खातेदारी भूमि में मकान बनाया है जिसके संबंध में गिरदावरी हल्का से स्पष्टीकरण किया गया तो उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पहले यह भूमि खातेदारी में थी और कन्सोलिडेसन होने के बाद सिवाय चक में हो गई चक नं0 12 सिवाय चक के बजाय आबादी भूमि की जावे इस भूमि में भौरीलाल ने मकान बनाया है तथा दफा 66 के तहत अधिकार है तथा उक्त भूमि आबादी में परिवर्तन हो गई है उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार ने अप्रार्थीगण के पूर्वज भौरीलाल पुत्र श्योनाथ से उक्त भूमि में मकान बनाये जाने की एवज में फीस पटटा 5 रूपये खजाने में जमा करवाने का आदेश पारित किया था उक्त आदेश की पालना में अप्रार्थीगण के पूर्वज द्वारा उक्त राशि दिनांक 07.06.1965 का जरिये चालान जमा करवा दी गई थी इस प्रकार उक्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

अप्रार्थीगण के पूर्वजों की भूमि रही है जिस पर अप्रार्थीगण के मकानात आदि बने हुए है वर्तमान में उक्त मकानात खण्डर हो जाने के कारण नये सिरे से मकान बनाना चालू किया तो इन लोगों ने मिथ्या आधारों पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। उक्त भूमि वर्तमान में आबादी भूमि के रूप में अप्रार्थगण के उपयोग उपभोग के काम में आ रही है प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर किसी प्रकार से कोई कब्जा काश्त नहीं है उक्त तमाम तथ्य मिथ्या अंकित किये है प्रार्थीगण का उक्त भूमि का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा उक्त भूमि 8 एयर भूमि है जिस पर अपीलार्थीगण के मकानात खण्डर हो जाने के कारण पुनः उनको नये सिरे से बनवाया जा रहा है जिसके संबंध में तहसीलदार महोदय ने मौका रिपोर्ट भी मंगवायी थी उक्त मौका रिपोर्ट जो कि पटवारी महोदय द्वारा दिनांक 12.12.2019 को तैयार की है उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि ख0 नं० 20 में पुराना मकान तोडकर नये मकान की नींव रखी जा चुकी है जो कि बनवारी पुत्र जगदीश ब्राहाम्ण का मकान है इस प्रकार प्रार्थीगण का एक इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं है जिसको रूकवाने के लिए प्रार्थीगण ने मिथ्या आधारों पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा समय समय पर अप्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत द्वारा आबादी पटूटे भी जारी करवा रखे है इस प्रकार उक्त भूमि आबादी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

के रूप में काम आ रही है। तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 28. 11.1964 को उक्त भूमि के संबध में आदेश पारित करते हुए उक्त भूमि को सिवाय चक की बजाय आबादी भूमि में शुमार किया गया था इस प्रकार उक्त भूमि आबादी भूमि है जो कि अप्रार्थीगण के पूर्वज भौरया उर्फ भौरीलाल पुत्र श्योनाथ के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है तथा उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा है तथा अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि को आबादी के रूप में काम में लेते आ रहे है प्रार्थीगण का एक इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं है उक्त भूमि आबादी भूमि है तथा ख0 नं० 20 जो कि आबादी भूमि है के संबंध में सुनवाई की अधिकारिता भी माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है प्रार्थीगण ने मिन अप्रार्थगण को हैरान व परेशान करने के उदेश्य से ख0 नं0 20 जो कि आबादी भूमि है जिसमें की अप्रार्थीगण मकानाता का निर्माण करवा रहे है उक्त स्थगन आदेश की वजह से मिन अप्रार्थीगण अपने मकान का निर्माण कार्य नहीं करवा पा रहे है जिससे अप्रार्थीगण को आवास की सुविधा नहीं मिल पा रही है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादग्रस्त भूमि ख0 नं० 20 को स्थगन आदेश से मुक्त किया जावे। प्रार्थना पत्र 151 का पेश

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

होने पर प्रार्थना पत्र की प्रति वकील प्रार्थी को ही गयी तो वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार पेश किया गया कि :–

प्रार्थना पत्र के मद नं. 01 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी प्रतिवादी का यह कहना गलत है कि उक्त वादीगण ने न्यायालय को गुमराह कर स्थगन आदेश प्राप्त किया हो बल्कि प्रार्थीगण वादीगण ने जो पूर्व में आराजी खसरा नंबर 20 के संबंध में वाद प्रस्तुत किया था उसको विड़ा कर नया दावा अन्य खसरा नंबरान के साथ पेश करने की अनुमति लेकर– उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया था तथा न्यायालय को समस्त त्थ्यों से अवगत करवाते हुये न्यायालय में प्रार्थीगण का राजस्व रिकोर्ड देख कर स्थगन जारी किया था। प्रार्थना पत्र के मद नं. 02 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने अपने पूर्व के बाद कारण पर ही उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा नया वाद पेश करने की अनुमति ते हुये पेश किया था। जहां तक प्रार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा 1964. के निर्णय की बात की गई है गलत होने से अस्वीकार है उक्त वर्तमान खसरा नंबर 20 वादीगण के पूर्वज स्व. कालू (काल्या) के नाम एकीकरण से पूर्व था। जिसका मूल नंबर 76 एकीकरण के दौरान अन्य नंबरों को 76 के साथ समावित कर खसरा नंबर 12 बने तथा उक्त 12 से प्रार्थीगण वादीगण की जमीन

उपखण्ड अधिकारी
कोटपुतली (जयपुर)

का खसरा नंबर 20 बना जिसको प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व. भौरीलाल ने राजस्व कर्मियों से मिलीभगत कर बिना किसी क्षेत्राधिकार के व अधिकार के अपने नाम करवा लिया जिससे व्यथित होकर ही उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व दावा घोषणा खातेदारी का पेश किया गया। जहां तक आबादी व सिवायचक का प्रश्न है गलत होने से अस्वीकार है उक्त आराजी का रिकॉरड शुरू से लेकर आज तक खातेदारी काश्त का रहा है तथा वादीगण शुरू से अपने पूर्वज की उक्त आराजी पर काबिज काश्त हैं प्रार्थीगण प्रतिवादीगण के पूर्वज भौरीलाल किस हैसियत से प्रार्थीगण की उक्त आराजी का अपने नाम. अंकन राजस्व कर्मियों से मिलकर करवाया स्वंय प्रार्थीगण प्रतिवादीगण बताये। प्राथीगण वादीगण की उक्त आराजी से दूर दूर तक कोई संबंध व सरोकार प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व. भौरी लाल का नहीं था इस प्रकार –वादीगण उक्त के मालिक व स्वामी है तथा राजस्व कर्मियों की गलती से जो राजस्व रिकार्ड में भौरी लाल का नाम अंकन हुआ है उसे दुरूस्त करवा कर अपने नाम खातेदारी करवाने का हक व अधिकार वांदीगण प्रार्थना पत्र का मद नं. 03 में वर्णित तथ्य गलत व–काल्पनिक होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार वादीगण की उक्त आराजी से नहीं है। तहसीलदार से कोई गलत निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वांमित दस्ताबेज तैयार करवा कर प्रतिवादीगण ने करवा लिया हो तो. .वह भी वादीगण के अधिकारों के मुकाबले शुन्य है। प्रार्थीगण वादीगण के पूर्वजों की उक्त आराजी है जिस पर वादीगण का पूर्ण हक व अधिकार है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 04 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है उक्त खसरा नंबर 20 की भूमि 0.08 है0 भूमि. कृषि आराजी है तथा उक्त का किसी प्रकार का कोई कुटरचित पटटा इत्यादि प्रतिवादीगण ने अवैधानिक रूप से जारी करवा रखा है तो वह वादीगण के अधिकारों के मुकाबले शुन्य है तथा कुटरचित दस्तावेजात तैयार करने की कार्यवाही वादीगण पृथक से प्रतिवादीगण के खिलाफ अमल में लायेगे।

अतिरिक्त कथन

अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. का बेबुनियाद आधारों पर पेश किया है। 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र कानूनन उसी स्थिति में पोषणीय होता है जब कानून में कोई व्यवस्थाः नहीं हों उक्त प्रकरण में अप्रार्थीयण के पास अस्थायी निषैधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर जवाब देकर सुनवाई का अधिकार है ऐसी स्थिति में 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होता है तथा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

विधि का भी यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र का निर्णय पेण्डिंग हो वहां 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र की अपील मान्य राजस्व अपील अधिकारी के यहां कर रखी है ऐसी स्थिति में भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है । स्वंय प्रतिवादीगण ने खसरा नंबर 20 रकबा 0.08 है0 के संदर्भ में प्राथीगण वादीगण के खिलाफ दावा घोषणा खातेदारी का वादीगण के उक्त दावे के बाद पेश किया है जिससे यह साफ जाहिर होता है कि वादीगण का वादग्रस्त आराजी में हित निहित है तथा उसके वह मालिक व स्वामी है ऐसी स्थिति में स्वंय प्रार्थीगण प्रतिवादीगण अपने अभिवचनों में विरोधाभासी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण ने सिर्फ और सिर्फ भावनाओं व उत्तेजना में उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो भारी हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र 151 सी0पी0सी0 का पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो दौराने बहस वकील अप्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र 151 का समर्थन करते हुये कथन किया प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट रूप से कही भी अंकित नही किया कि वादग्रस्त भूमि कौन से सन् व सम्वत

खण्ड अधिकारी
बाकसू (जयपुर)

में प्रार्थीगण के पूर्वज के नाम रही, वास्तविकता तो यह है कि प्रार्थीगण के पिता कालू एवं अप्रार्थी के पूर्वज भौरिया द्वारा तहसीलदार चाकसू के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 28.11.64 को तहसीलदार से निर्णय करवाया कि वादग्रस्त भूमि जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 20 के साबिक खसरा नम्बर 12 थे उक्त खसरा नम्बर 12 के संबंध में तहसीलदार ने निर्णय किया कि उक्त भूमि चक नम्बर 12 सिवाय चक के बजाय आबादी में शुमार किया जाता हैं, इस प्रकार उक्त भूमि दिनांक 28.11.64 से ही आबादी भूमि के रूप में काम आ रही है। अप्रार्थी के पूर्वज भौरिया पत्र श्योनाथ्ज्ञ के खसरा नम्बर 76 जिसके हाल खसरा नम्बर 12 वर्तमान खसरा नम्बर 20 के संबंध में दिनांक 07.06.64 को राजस्थान सरकार में मकान बनाने की बाबत सरकार को जरिये चालान राशि जमा करवायी थी उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा मकान बना लिया जिस पर अप्रार्थीगण पूर्वजो के समय से ही निवास करते चले आ रहे है उक्त मकान खण्डर होने से मकान को तुडवाकर नया मकान बनाया जा रहा है। जिसको रूकवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

जवाब बहस में अप्रार्थी/प्रार्थी वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि उक्त वर्तमान खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

20 वादीगण के पूर्वज स्व0 कालू के नाम एकीकरण से पूर्व था जिसका मूल नम्बर 76 एकीकरण के दौरान अन्य नम्बरों को को 76 के साथ समावित कर खसरा नम्बर 12 बने तथा उक्त 12 से अप्रार्थीगण वादीगण की जमीन का खसरा नम्बर 20 बना जिसको प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व0 भौरीलाल फर्ज तरीके से बिना किसी क्षेत्राधिकार के अपने नाम करवा लिया। जहॉ तक आबादी व सिवायचक का प्रश्न है गलत है। उक्त आराजी का रिकार्ड शुरू से लेकर आज तक खातेदारी काश्त का रहा है वादीगण शुरू से अपने पूर्वज की उक्त आराजी पर काबिज काश्त है प्रतिवादीगण के पूर्वज भौरीलाल किस हैसियत से प्रार्थीगण की उक्त आराजी का अपने नाम अंकन करवाया स्वयं प्रतिवादीगण बताये। तहसीलदार से कोई गलत निर्णय गलत दस्तावेज तैयार कर प्रतिवादीगण ने करवा लिया हो तो वह वादीगण के मुकाबले शुन्य है। खसरा नम्बर 20 की भूमि 0.08 है0 कृषि आराजी है, किसी प्रकार का पटटा प्रतिवीदगण जारी करवा रखा है तो वह वादीगण के मुकाबले शुन्य है, वादीगण के खिलाफ दावा घोषणा का वादीगण के उक्त दावे के बाद पेश किया है जिससे जाहिर है कि वादीगण का वाद वादग्रस्त आराजी में हित निहित है अतः प्रार्थना पत्र 151 का खारिज करते हुये प्रार्थी का स्थगन ताफैसला वाद कन्फर्म फरमाया जावे। पक्षकारान वकील की

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

बहस पर गोर किया व प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का परीक्षण किया गया तो प्रार्थना पत्र 151 का निर्णय नही कर प्रार्थना पत्र 212 का निर्णय किया जाना उचित समझते है जो कि ग्राम श्यामपुरा तहसील कोटखावदा की वादग्रस्त भूमि एकीकरण से पूर्व खाता संख्या 3 खसरा नम्बर 24, 26, 38, 40, 41, 43, 54, 63, 74, 76, 80, 134/186, 134/197, 134/202, 129/207, 133/200, कुल किता 16 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा थे जो प्रार्थीगण के पिता काल्या के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी लेकिन एकीकरण के दौरान आराजी खसरा नम्बर 24, 74, 76, 80, 134/197, 133/200 अप्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम बिना किसी आधार के कर दी व प्रार्थी के पिता की जमीन कम कर दी खसरा नम्बर 24 अन्य नम्बरों को मिलाकर खसरा नम्बर 1 बना उक्त 1 से सेटलमेंट के उपरांत खसरा नम्बर 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बने जो वर्तमान में ही है। इसी प्रकार पुराने खसरा नम्बर 76 के एकीकरण में उक्त नम्बरों को मिलाकर 12 बना उक्त 12 से सेटलमेंट के उपरान्त खसरा नम्बर 20, 21, 50, 51, 52 हुये जो वर्तमान में है। खसरा नम्बर 20 रकबा 0.08 है स्थित है, इसी प्रकार पुराने खसरा नम्बर 80 का एकीकरण में अन्य नम्बरों को मिलाकर 15 बना 15 में सेटलमेंट के दौरान 41, 42, 48, 49 बने, इसी प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

134/197 तथा 133/200 का अन्य खसरा नम्बरान को मिलाकर खसरा नम्बर 51 बना 51 का सेटलमेंट के दौराने खसरा नम्बर 266, 267, 268 बने 267 के वर्तमान खसरा नम्बर 267/1, 267/11 बने जिन पर प्रार्थीगण के पूर्वज की एकीकरण के दौरान खातेदारी हटाकर अप्रार्थीगण के नाम लगाया जाना बताया गया। प्रार्थीगण के पुराने नक्शे से नया नक्शा उक्त आराजीयात का बना जिस पर प्रार्थीगण काबिज हैं। प्रार्थीगण के मूल खसरा नम्बर 76 का खसरा नम्बर 20 बना जो अपने पिता के समय से मूल खसरा नम्बर 76 के अनुसार काबिज है। खसरा नम्बर 20 रकबा 0.08 है0 पर जबरन कब्जा करने पर आमदा है जबकि अप्रार्थी के जवाब अनुसार प्रार्थीगण के पिता कालू एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज भौरया पुत्र श्योनाथ तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर जो तहसीलदार चाकसू द्वारा दिनांक 28.11.64 को निर्णय करते हुये वादग्रस्त आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 20 के साबिक खसरा नम्बर 12 थे उक्त खसरा नम्बर 12 के संबंध में निर्णय पारित किया कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 12 सिवायचक के बजाय आबादी में शुमार किया जावे। उक्त भूमि दिनांक 28.11.64 से ही आबादी भूमि के रूप में काम आ रही हैं जिस बाबत अप्रार्थीगण के पूर्वज भौरिया पुत्र श्योनाथ के खसरा नम्बर 76 हाल खसरा नम्बर 12 वर्तमान खसरा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

नम्बर 20 बाबत दिनांक 07.06.64 को सरकार में मकान बनाने हेतु जरिये चालान राशि जमा करवायी थी एवं इस प्रकार उक्त भूमि में अप्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा मकान बना लिया जो पूर्वजो के समय से ही निवास कर रहे है। वर्तमान में उक्त मकान खण्डर अवस्थ में होने से उक्त मकानो को तुडवाकर नया मकान बनाया जा रहा। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण तो वादग्रस्त भूमि को अपनी पैतृक भूमि बताते हुये अपना कब्जा काश्त बता रहे जबकि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर आबादी भूमि बताते हुये स्वयं आबादी भूमि का पटटा अपने पास बताते हुये अपना कब्जा बताते है इस प्रकार दोनो ही पक्षो में वादग्रस्त विवदित भूमि को लेकर विवाद है जिससे मौके पर शान्ति व्यवस्था भंग होने का अन्देशा होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी का 2/2 का स्वीकार किया जाना उचित समझते है ताकि मौके पर शान्ति व्यवस्था बनी रहे। अतः प्रार्थना पत्र 212 का स्वीकार किया जाकर स्थगन आदेश दिनांक 19.12.2019 का ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली वाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.05.22 15:48:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: